

बाल अधिकार



1. जीने का अधिकार

- जन्म लेने और जीने का अधिकार
जन्म पंजीकरण
- नाम और नागरिकता पाने का अधिकार
- पोषण, स्वास्थ्य और रहन-सहन की सुविधाएँ पाने का अधिकार

2. विकास-शिक्षा पाने का अधिकार

- प्रारम्भिक बाल्यावस्था में विकास का अधिकार
- देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और आराम पाने का अधिकार
- मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार

3. संरक्षण का अधिकार

- शोषण, अमानवीय या नीचा दिखाने वाले बर्ताव, उपेक्षा से मुक्ति, संकट काल और युद्ध के दौरान तनाव से सुरक्षा पाने का अधिकार

4. सहभागिता का अधिकार

- बच्चों के दृष्टिकोण का समान विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता
- व्यक्तिगत श्रद्धा व मान्यताओं की स्वतंत्रता
- उचित जानकारी पाने, विचार चेतना और धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता



ग्राम चेतना केन्द्र

ग्राम चेतना केन्द्र

खेड़ी मिलक, वाया-रेनवाल, जिला-जयपुर-303603, फोन : 01424-282234, 282256

ChildFund

चाइल्ड फण्ड इण्डिया